पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति सं.-1625
दिनांक-09.07.2025

"एक पेड़ माँ के नाम" पौधारोपण अभियान

"एक पेड़ माँ के नाम" पौधारोपण अभियान का लखनऊ में भव्य शुभारंभ: पुलिस महानिदेशक ने किया वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण और मातृ शक्ति के सम्मान का दिया संदेश

पौधारोपण अभियान का शुभारंभ: पृष्ठभूमि, उद्देश्य एवं विस्तृत विवरण-

लखनऊ, 09 जुलाई 2025 – उत्तर प्रदेश पुलिस ने आज एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए पर्यावरण संरक्षण और मातृ शक्ति के सम्मान को समर्पित **'एक पेड़ माँ के नाम'** पौधारोपण अभियान का भव्य शुभारंभ किया। **पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस, श्री राजीव कृष्ण महोदय ने पुलिस लाइन परिसर, लखनऊ में वृक्षारोपण कर** इस अभियान की शुरुआत करते हुए कहा, *"माँ और प्रकृति दोनों ही जीवनदायिनी हैं। इस अभियान के माध्यम से हम न केवल पर्यावरण को हरा-भरा बनाएंगे, बल्कि समाज में संवेदनशीलता और सामूहिक जिम्मेदारी का संदेश भी फैलाएंगे।"* यह अभियान न केवल हरित आवरण को बढ़ाने पर केंद्रित है, बल्कि समाज में संवेदनशीलता और संस्कारों को रोपने का भी एक सशक्त माध्यम है।

इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक महोदय के साथ लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के कई वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे, जिनमें श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ, श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर, संयुक्त पुलिस आयुक्त, अपराध एवं मुख्यालय श्री अमित कुमार, संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था श्री बबलू कुमार, सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी गण और स्वयंसेवक शामिल रहे।

अभियान का उद्देश्य-

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा इतने बड़े पैमाने पर पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण और हरियाली की दिशा में एक सार्थक पहल की जा रही है। इस अभियान का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को अपनी माँ के नाम पर एक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना है, जो न केवल पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा, बल्कि मातृ प्रेम और समर्पण का एक शाश्वत प्रतीक भी बनेगा।

अभियान का क्रियान्वयन एवं लक्ष्य-

लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट द्वारा इस अभियान को **वृहद स्तर** पर लागू किया जा रहा है। इस अभियान के तहत लखनऊ कमिश्नरेट के सभी थानों एवं पुलिस लाइन परिसरों में बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जा रहा है। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में करीब 8000 पौधों को रोपण करने का लक्ष्य रखा गया है।

'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के तहत कमिश्नरेट लखनऊ इस अभियान में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। लखनऊ के सभी थानों और पुलिस लाइन को बड़ी संख्या में पौधे आवंटित किए गए हैं, जिनका रोपण वृहद स्तर पर किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर मोहनलालगंज, और नगराम में 800-800 पौधों का रोपण कर हरा-भरा किया जा रहा है, जबकि थाना आशियाना में 800 और दुबग्गा थाना में 500 पौधों का रोपण कार्य प्रगति पर है। इस तरह, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ पर्यावरण संरक्षण और हरियाली की दिशा में एक सार्थक और व्यापक पहल कर रहा है।

पौधारोपण के प्रमुख स्थल एवं आंवटन-

- थाना पारा, मोहनलालगंज, नगराम: 800 पौधे, आशियाना थाना 700 पौधे
- थाना दुबग्गा: 500 पौधे,अग्निशमन 400, थाना गोमती नगर 400 पौधे
- 32 पीएसी बटालियन, थाना, मलिहाबाद चिनहट 300 पौधे
- महिला उदा देवी वीरांगना बटालियन, थाना पीजीआई, विभूति खंड 200 पौधे
- न्यू कल्ली पश्चिमी पुलिस लाइन 150 पौधे, 35 बटालियन पीएसी 100 पौधे, थाना ताल कटोरा 100 पौधे
- थाना इटौजा 50 पौधे, बीकेटी 70 पौधे, अलीगंज 50 पौधे

इसके अलावा, पुलिस कर्मियों एवं आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपनी माताओं के नाम पर पौधे लगाकर इस अभियान से जुड़ें।

पर्यावरण संरक्षण, संतुलन एवं सामाजिक संदेश: मातृ शक्ति का सम्मान

इस अभियान की परिकल्पना **'माँ प्रकृति का दूसरा रूप है'** के गहन दर्शन पर आधारित है, जो हमें जीवन और प्रेम देती है। **'एक पेड़ माँ के नाम'** अभियान के माध्यम से हम अपनी माताओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए पर्यावरण को हरा-भरा बनाने का संकल्प लेते हैं। यह पहल न केवल शहरी हरियाली को बढ़ावा देगी बल्कि नागरिकों के बीच पर्यावरणीय जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना को भी मजबूत करेगी।

संदेश-

पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कृष्ण महोदय ने इस अवसर पर कहा, "यह अभियान केवल वृक्षारोपण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मातृ शक्ति के प्रति हमारे सम्मान और पर्यावरण के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी का प्रतीक है। हर पौधा जो हम लगाते हैं, वह हमारी माताओं के प्रेम और त्याग का सम्मान है, और साथ ही हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने की हमारी प्रतिबद्धता है।"

'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान उत्तर प्रदेश पुलिस की जन-भागीदारी और सामुदायिक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह पहल निश्चित रूप से राज्य में हरित क्रांति लाने और नागरिकों के बीच पर्यावरणीय चेतना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

पुलिस आयुक्त लखनऊ, श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर ने बताया, "पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ इस अभियान को सफल बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हम इस पहल के माध्यम से समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं और नागरिकों को भी इस नेक कार्य में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।"

"एक पेड़ माँ के नाम" अभियान न केवल एक पर्यावरणीय पहल है, बल्कि यह समाज में संस्कार, संवेदना और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को भी मजबूत करेगा। हम सभी का सहयोग इस अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आइए, मिलकर एक हरित और स्वच्छ भविष्य का निर्माण करें!

जनभागीदारी का आह्वान

उत्तर प्रदेश पुलिस और राज्य सरकार द्वारा सभी नागरिकों, शिक्षण संस्थानों, सामाजिक संगठनों और व्यवसायियों से इस अभियान से जुड़ने का आग्रह किया गया है। आप भी अपनी माँ, दादी, नानी या किसी प्रेरणास्त्रोत महिला के नाम पर पौधा लगाकर इस पुनीत कार्य में योगदान दे सकते हैं।

मीडिया बन्धुओं से अपील

सभी मीडिया साथियों से अनुरोध है कि इस अभियान को व्यापक प्रचार-प्रसार दें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस पुनीत कार्य से जुड़ सकें।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-1619
दिनांक- 09.07.2025

जोन-पूर्वी / थाना- बी.बी.डी.

- **थाना बी.बी.डी. पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

थाना बीबीडी लखनऊ पर दिनांक 04.07.2025 को प्रभारी निरीक्षक थाना बीबीडी द्वारा रवि रावत व लवकुश रावत, रोहित रावत, दीपक बाल्मीकि के विरुद्ध मु.अ.सं. 157/2025 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाजविरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 1986 पंजीकृत कराया गया।

बावत गैंग लीडर रवि रावत द्वारा अपने गैंग के सदस्यो लवकुश रावत, रोहित रावत, दीपक बाल्मीकि के साथ मिलकर संगठित अपराधिक गिरोह कायम कर रहा है। गैंगलीडर अपने साथी के साथ एक गिरोह बनाकर पूर्व में चोरी/नकबजनी जैसे गम्भीर अपराधों को अंजाम दिया गया है। जिनका विवरण अभियुक्तगण के अपराधिक इतिहास में दर्शित किया गया है, जिसमें अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना कृष्णा नगर लखनऊ, थाना पी0जी0आई0 लखनऊ व थाना शिवगढ़ जनपद रायबरेली जैसी उपरोक्त अपराधिक कृत्य आर्थिक भौतिक और बुनियादी लाभ पाने के लिए किया गया है।

इस गिरोह द्वारा कारित घटना को लेकर जनता और समाज मे भय और दहशत का माहौल बना रहता है। इस गिरोह की संक्रियता अन्तर्जनपदीय है।

अभियोगो की विवेचना के दौरान थाना बीबीडी पुलिस द्वारा मुखविर की सूचना पर अभियुक्त दीपक बाल्मीकी को दिनांक 09.07.2025 को ठाकुरद्वारा मन्दिर के पास सरायशेख से गिरफ्तार किया गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 157/2025 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर अधि0 पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त दीपक कुमार बाल्मीकी को रिमाण्ड हेतु मा0 न्यायालय के समक्ष भेजा गया।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

1. दीपक कुमार बाल्मीकी पुत्र रामविलास निवासी लहुराबीर थाना चेतनगंज वाराणसी हालपता- म0न0 22/1 डूडा कालोनी चरन भट्टा रोड थाना पीजीआई लखनऊ उम्र-35 वर्ष।

03-अभियुक्त - दीपक कुमार बाल्मीकी पुत्र रामविलास का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0-294/16धारा 2/3 गैगेस्टर अधि0 थाना शिवगढ़ जिला रायबरेली
2. मु0अ0स0-266/16धारा 394 भादवि थाना मौरावा जिला उन्नाव
3. मु0अ0स0-236/16 धारा 392/411 भादवि थाना शिवगढ़ जिला रायबरेली
4. मु0अ0स0-237/16 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना शिवगढ़ जिला रायबरेली
5. मु0अ0स0-123/16धारा- 394/411 भादवि थाना गुरबक्शगंज जिला रायबरेली
6. मु0अ0स0-044/16धारा- 392/411 भादवि थाना महाराजगंज रायबरेली
7. मु0अ0स0-316/2019 धारा- 3/25 शस्त्र अधि0 थाना कृष्णानगर लखनऊ
8. मु0अ0स0-124/2019 धारा- 394/411/420/467/468/471 भादवि थाना सरोजनीनगर लखनऊ
9. मु0अ0स0-106/2024 धारा 331(4)/305 बीएनएस थाना बीबीडी लखनऊ
10. मु0अ0स0-108/24 धारा 331(4)/305/317(2)/317(4) बीएनएस थाना बीबीडी लखनऊ
11. **मु0अ0स0-157/2025 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर अधि0 थाना बीबीडी लखनऊ**

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 मुकेश पाल थाना बीबीडी जनपद लखनऊ
2. उ0नि0 श्री वीरेन्द्र यादव थाना बीबीडी जनपद लखनऊ
3. का0 सूरज सिंह थाना बीबीडी जनपद लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-1620
दिनांक 09.07.2025

जोन पश्चिमी / थाना चौक

- **थाना चौक पुलिस द्वारा 01 शातिर वाहन चोर को किया गया गिरफ्तार।**
- **चोरी की 01 अदद मोटरसाईकिल बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरणः-

वादी श्री दिलीप कुमार पुत्र संतोष कुमार नि0- फरीदीपुर थाना दुबग्गा लखनऊ द्वारा दिनांक 29.06.2025 को थाना हाजा पर प्रार्थना पत्र देकर बताये कि दिनांक 14.06.2025 को मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस UP32MT6746 नानवेज प्वाईन्ट के पास से चोरी हो गयी है। तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए थाना चौक पुलिस टीम द्वारा सुरागरसी पतारसी शुरू कर दी गई।

जिसके क्रम में आज दिनांक 09.07.2025 को लोहिया पार्क के पीछे थाना चौक लखनऊ से अभियुक्त अब्दुल्ला पुत्र मो0 कलाम निवासी ग्राम बहादुरपुर थाना कोतवाली देहात जिला बहराइच उम्र करीब 25 वर्ष को चोरी की मोटरसाईकिल के साथ गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

1. अब्दुल्ला पुत्र मो0 कलाम निवासी ग्राम बहादुरपुर थाना कोतवाली देहात जिला बहराइच उम्र करीब 25 वर्ष

03-पंजीकृत / अनावरित अभियोग-

1 मु0अ0सं0- 171/2025 अन्तर्गत धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना चौक कमिश्नरेट लखनऊ

04-बरामदगी-

- 01 अदद मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस रजिस्ट्रेशन नं0- UP32MT6746

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री नागेश उपाध्याय, थाना चौक कमिश्नरेट लखनऊ
2. उ0नि0 श्री पंकज यादव, चौकी प्रभारी चौक, थाना चौक कमिश्नरेट लखनऊ
3. उ0नि0 श्री लवलेन्द्र सिंह, थाना चौक कमिश्नरेट लखनऊ
4. का0 परम सिंह, थाना चौक कमिश्नरेट लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-1621
दिनाकं-09.07.2025

- **साइबर क्राइम सेल के द्वारा वादी के खाते से धोखाधड़ी करके ठगे गये धनराशि 1,96,000/- रूपये वापस कराये गये ।**

01-कार्यवाही-

श्रीमान् पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ महोदय द्वारा साइबर अपराध पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, अपराध में संलिप्त वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी व अपराध की रोकथाम के आदेश के क्रम में, श्रीमान् संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) कमिश्नरेट लखनऊ, पुलिस उपायुक्त (अपराध), अपर पुलिस उपायुक्त (अपराध) के मार्गदर्शन में व सहायक पुलिस आयुक्त साइबर क्राइम के पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम सेल के नेतृत्व में साईबर क्राइम सेल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए वादिनी से साइबर अपराधियो के द्वारा ठगे गये धनराशि 1,96,000/- रूपयें को वादी के खाते में पुनः वापस कराया गया।

02-घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी गिरिजाशंकर के द्वारा साइबर क्राइम सेल आकर दिनाँक 19.03.2024 अवगत कराया कि दिनाँक 18/03/2025 को एक कॉल आया जिसमे कॉल करने वाले व्यक्ति द्वारा बताया गया कि वह बैंक कर्मचारी है और लिमिट बढ़ाने के नाम पर धोखाधड़ी करके 1,96,000 रुपये की ठगी कर ली गयी।

03-साइबर सेल द्वारा की गयी कार्यवाही-

वादी गिरिजाशंकर द्वारा अपने साथ हुये साईबर फ्रॉड के सम्बन्ध में साईबर क्राइम सेल में दिनाँक 19/03/2025 शिकायत दर्ज करायी गयी थी, जिसकी संख्या 1413/2025 है। जिस पर प्रभारी निरी0 श्री रत्नेश कुमार सिंह के आदेश के क्रम में का शमशाद अली के द्वारा प्रार्थनापत्र पर त्वरित कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित बैंक/ कम्पनियो से इलैक्ट्रानिक पत्राचार कर प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही करते हुये धनराशि 1,96,000/- हजार रूपये पीडित के खाते में वापस कराये गये। साइबर क्राइम सेल के द्वारा की गयी त्वरित कार्यवाही के कारण वादिनी अपने रुपये वापस पाकर अत्यन्त प्रसन्न है, तथा पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए धन्यवाद प्रकट किया गया ।

04-धनवापस कराने वाली पुलिस टीम-

1. निरीक्षक श्री रत्नेश कुमार सिंह, प्रभारी नि0 साइबर क्राइम सेल पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ ।
2. हे0 का0 शमशाद अली, साइबर क्राइम सेल पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ ।
3. हे0 का0 धीरेन्द सिंह, साइबर क्राइम सेल पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ ।
4. हे0 का0 मनोज कुमार, साइबर क्राइम सेल पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ ।
5. का0 सनीफ रजा, साइबर क्राइम सेल पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ ।

अपील- किसी भी अनजान व्यक्ति द्वारा कस्टमर सपोर्ट अधिकारी बताकर ओटीपी / यूपीआई पिन / सीवीवी आदि पूछे जाने पर कदापि ना बताये ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.- 1622
दिनांक-09.07.2025

जोन- उत्तरी/ थाना-इटौंजा

- **थाना इटौंजा पुलिस टीम द्वारा 02 नफर वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

माननीय न्यायालय श्रीमान एडीजे-1 वाद सं0 618/19 सम्बन्धित मु0अ0सं0 114/19 धारा 302 भादवि थाना इटौंजा जनपद लखनऊ से सम्बन्धित वारंटी 1.शेरखान पुत्र बन्नू नि0 उसरना थाना इटौजा लखनऊ उम्र 38 वर्ष 2.मौ0 शब्बीर पुत्र महमूद नि0 उसरना थाना इटौजा जनपद लखनऊ उम्र 40 वर्ष को उसके घर से गिरफ्तारी अधिपत्र दिखाते हुए थाना इटौंजा पुलिस टीम द्वारा दिनांक 09/07/2025 को हिरासत पुलिस लिया गया।

अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अपराध का तरीका:-

मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत आदेश का अनुपालन न करना ।

03-संबन्धित वाद संख्या:-

1. वाद सं0 618/19 सम्बन्धित मु0अ0सं0 114/19 धारा 302 भादवि थाना इटौंजा लखनऊ

04-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. शेरखान पुत्र बन्नू निवासी उसरना थाना इटौजा जनपद लखनऊ उम्र 38 वर्ष
2. मो0 शब्बीर पुत्र महमूद निवासी उसरना थाना इटौजा जनपद लखनऊ उम्र 40 वर्ष

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 नरेन्द्र कुमार भारती थाना इटौंजा लखनऊ
2. का0 अमित चोपडा थाना इटौंजा लखनऊ
3. का0 रवि कुमार थाना इटौंजा लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-1623
दिनांक- 09.07.2025

जोन- उत्तरी / थाना- जानकीपुरम

- **थाना जानकीपुरम पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी को किया गया गिरफ्तार ।**

01-सक्षिप्त विवरणः-

मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत गैरजमानती वारंट वाद श्रीमान स्पेशल सी.जे.एम. वाद सं0-43054/16 अ0सं0-219/16 धारा 41/411/413 भादवि थाना जानकीपुरम कमिश्नरेट लखनऊ व वाद सं0-41956/16 अ0सं0- 213/16 धारा 392/411 भादवि थाना जानकीपुरम लखनऊ से सम्बन्धित वांरटी/अभियुक्त अन्जाना रावत पुत्र लक्ष्मण रावत निवासी काजी टोला मड़ियांव गांव उम्र करीब 32 वर्ष को हिरासत पुलिस में लिया गया । वारंटी उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय से अग्रिम एवं विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

02-संबन्धित वाद संख्याः-

1. वाद सं0-43054/16 अ0सं0-219/16 धारा 41/411/413 भादवि थाना जानकीपुरम लखनऊ
2. वाद सं0- 41956/16 अ0सं0- 213/16 धारा 392/411 भादवि थाना जानकीपुरम लखनऊ

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. अन्जाना रावत पुत्र लक्ष्मण रावत निवासी काजी टोला मड़ियांव गांव उम्र करीब 32 वर्ष (व्यवसाय – वर्कशॉप पर काम करना) ।

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना जानकीपुरम

1. उ0नि0 अकित कुमार
2. म0उ0नि0 रोशनी दूवे
3. हे0का0 दुर्ग विजय सिंह

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-1624
दिनांक 09.07.2025

जोन- दक्षिणी / थाना- पी.जी.आई.

- **पीजीआई पुलिस टीम द्वारा धोखाधडी कर जमीन के कूटरचित दस्तावेज तैयार कर बेचने वाले 02 शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 06.04.2025 को वादी चेतराम पुत्र स्व0गरीबे निवासी ग्राम-अमोल मजरा कल्ली पश्चिम थाना-पी०जी०आई० लखनऊ द्वारा विपक्षीगण द्वारा वादी के साथ धोखाधडी कर, वादी की जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेच देने के सम्बन्ध में थाना पी0जी0आई0 पर मु0अ0सं0 165/2025 धारा 340(2)/336(3)/338/318(4)/319(2)/61(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया था। इन टीमों द्वारा अभियोग उपरोक्त में नामित अभियुक्तगण हौसला प्रसाद व सर्वेश कुमार मौर्या उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु मैनुअल व टैक्निकल साक्ष्यों के आधार पर आज दिनांक 09.07.2025 को जगतखेड़ा नहर वाली रोड से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों से नाम पता पूछने पर पहले व्यक्ति अपना नाम हौसला प्रसाद पुत्र स्व0 प्यारे लाल उम्र 55 वर्ष निवासी शिव विहार खरिका तेलीबाग थाना पीजीआई लखनऊ व दूसरे ने अपना नाम सर्वेश कुमार मौर्या पुत्र राम गोपाल मौर्या उम्र 38 वर्ष निवासी- जगत खेड़ा कल्ली पश्चिम थाना पीजीआई लखनऊ बताया। अभियुक्तगण को उपरोक्त को मुकदमा उपरोक्त का हवाला देते हुए उसके जुर्म से अवगत कराते हुए हिरासत पुलिस में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. हौसला प्रसाद पुत्र स्व0 प्यारे लाल उम्र 55 वर्ष निवासी शिव विहार खरिका तेलीबाग थाना पीजीआई लखनऊ।
2. सर्वेश कुमार मौर्या पुत्र राम गोपाल मौर्या उम्र 38 वर्ष निवासी-जगत खेड़ा कल्ली पश्चिम थाना पीजीआई लखनऊ

03-अनावरित अभियोगः-

1. मु0अ0सं0 165/2025 धारा 340(2)/336(3)/338/318(4)/319(2)/61(2) बीएनएस थाना पीजीआई लखनऊ

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह, थाना पीजीआई लखनऊ।
2. उ0नि0 श्री रजित मिश्रा, थाना पीजीआई लखनऊ।
3. उ0नि0 श्री विकास सिंह, थाना पीजीआई लखनऊ।
4. का0 चेतन भारती, थाना पीजीआई लखनऊ।